

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very sorry to say that an element of non-seriousness and politics has been introduced in the Food and Agriculture debate. My hon. friend, Shri Abdul Ghani Dar spoke just now and I never heard a word, I never found any observation in his speech regarding the agricultural situation in this country and any suggestion to the Government as to what they should do for improving their agricultural policy.

I would like to associate myself with the sentiments expressed and tributes paid by the Minister of State, Shri Annasahib Shinde, to our agricultural workers and farmers of this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may resume his speech on Monday. Now we may take up Private Members' Business.

16 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Twenty-seventh Report

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विषयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 27वें प्रतिवेदन से, जो 10 अप्रैल, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House agrees with the Twenty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th April, 1968."

The motion was adopted.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Articles 31A, 168, etc.)

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

श्री भोला नाथ (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मद्रास का नाम बदल कर तामिल नाड रखने की बात आई है, मैं उसकी मुखालिफत करता हूँ। यह नाम जो रखे मन्त्रों के वह स्टेट्स रिभागनाइजेशन एक्ट के मातहत सन् 1956 में रखे गये थे। उस समय भी वहाँ पर लोकप्रिय सरकार थी और आज भी वहाँ पर लोकप्रिय सरकार है। इसमें कहा गया है कि यह जनता की मांग है इसलिये जनता की भावनाओं का आदर होना चाहिये। उस समय भी वहाँ पर जनता रहती थी लेकिन उसने मद्रास के नाम पर कोई एतराज नहीं किया था।

मैंने भी इसी प्रकार के एक बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी कि राजस्थान का नाम भी बदल दिया जाये, उसका नाम बदल कर झारखली प्रदेश रख दिया जाये। राजस्थान का नाम तो वैसे ही आज के सोशलिस्टिक पैटर्न में ठीक नहीं बैठता है। जब राजाओं को हमने एक जगह बिठा दिया तो फिर राजाओं के नाम से किसी स्टेट का रहना ठीक नहीं मान्य होता है। ऐसा नाम रखा जाना चाहिये, जैसा कि स्टेटमेंट आफ आम्बेड्जर्स में कहा गया था, जिसकी कोई कल्चरल बेसिस हो, लिगुइस्टिक बेसिस हो या जियोग्राफिकल बैल्यू हो। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने और होम मिनिस्ट्री ने मेरे बिल को इजाजत नहीं दी। मैं नहीं समझता कि यह बिल अब यहाँ पर कैसे आया है, कैसे इसकी इजाजत दी गई है।

यह बिल जो आपके सामने है, उससे साफ जाहिर है कि देश में कुछ ऐसी शक्तियाँ पनप रही हैं जोकि इस देश का लैंग्वेज के नाम से या किसी और नाम से बिभाजन करना चाहती हैं। हमारी जो पुरानी संस्कृति बनी हुई है या जो हमने बहुत सोच-समझ कर स्टेट्स रिभागनाइजेशन जैसे बड़े-बड़े कमिशन बिठा कर इन नामों को चुना है, उसमें वे परिवर्तन करना चाहते हैं। यदि यही इच्छा है, गवर्नमेंट चाहती

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 11.4.68.